राजस्थान–सरकार

न्यायालय तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनू

किस्म मुकदमा:– अं0 धारा 251 रा.का. अ.1955 प्रकरण सं0 :– 03/2019

पीठासीन अधिकारी – महेन्द्र सिंह मूण्ड (आर.टी.एस.)

1. प्रहलाद सिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।
2. रघुवीर सिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।

बनाम

1. मनीराम पुत्र देबूराम जाति राजपूत निवासी भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।
2. (मृतक) रामधन सैनी पुत्र गोविन्दराम सैनी जाति माली भरवाडी त. नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।
   2/1. सांवरमल पुत्र रामधन सैनी जाति माली भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।
   2/2. महावीर पुत्र रामधन सैनी जाति माली भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।
   2/3. ग्यारसीलाल पुत्र रामधन सैनी जाति माली भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।
   2/4. दिनेश पुत्र रामधन सैनी जाति माली भरवाडी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।
   2/5. घासी पुत्र रामधन सैनी जाति माली भरवाड़ी तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।
3. किशोर सिंह पुत्र कालू सिंह जाति राजपूत निवासी भरवाड़ी तहसील नवलगढ़।
4. मातूसिंह पुत्र मेघसिंह जाति राजपूत निवासी भरवाड़ी तहसील नवलगढ़।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुंझुनूं।

–: निर्णय :– दिनांक :– 22.11.2021

पत्रावली पेश हुई। संक्षेप में पत्रावली का विवरण इस प्रकार हैं कि माननीय जिला कलक्टर, झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 04.07.2019 के अनुसार तहसीलदार नवलगढ के निर्णय दिनांक 23.05.2017 को खारिज किया जाकर प्रकरण इस आश्य के साथ प्रति प्रेषित (रिमान्ड) किया गया है प्रकरण में पक्षकारों को सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर देते हुयें पुनः निणर्य पारित करें। मा. जिला कलक्टर, झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 04.07.2019 की पालना में दर्ज रजिस्टर होकर संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर तलब किया गया। पक्षकारों को जारी नोटिस तामिल कुलिन्दा से प्राप्त कर पत्रावली में शामिल किया गया। प्रार्थी क.स. 01 व अप्रार्थी सख्या 04 की ओर से किशोर कुमार एडवोकेट व प्रतिवादी संख्या 2/1, 2/2, 2/4 की ओर से आनन्दी लाल सैनी एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया शेष पक्षकार अनुपस्थित रहे ।

नियत दिनांक को अधिवक्ता श्री किशोर कुमार ने उपस्थित होकर प्रतिवादी संख्या मातु सिंह व वादी प्रहलाद सिंह व एक अन्य रिछपाल सिंह द्वारा शपथ पत्र पेश इस आश्य से पेश किया कि ख.न 126 व 127 में कभी कोई रास्ता नही था, इसलिए ख.न. 126 व 127 के खातेदारों ने अपने–अपने खेतो में आने–जाने के लिए रास्ते की भूमि अलग–अलग स्थानों से कय करके अपने रास्ते की व्यवस्था की है। ख.न. 126 के खातेदारों प्रहलाद सिंह ने अपने खेत व घर के लिए रास्ता ख.न. 121, 122, 123 व 125 में होकर उनके खातेदारों से खरीदा है। इसी प्रकार ख.न. 127 के खातेदार रिछपाल सिंह

Scanned with CamScanner

ने खेत के लिए रास्ता ख.न. 124 व 129 के मध्य मे से सीमा– सीमा लिया है जो श्तकारो से प्रतिफल राशि अदा करके क्रय किया है। इस प्रकार यदि ख.न. 124, 126, 27, 244, 243 में से नक्शा ट्रेस में से दर्शाये अनुसार कोई रास्ता मौके पर मौजूद होता तो ख.न. 126 व 127 के खातेदारों को नया रास्ता खरीदने की कोई आवश्यकता ही नही होती। मौके पर उपरोक्त ख.न. की भूमि में से प्रकरण में वर्णित अनुसार कोई रास्ता कभी मौजूद नही रहा है। ख.न. 244 में आने–जाने का रास्ता ख.न. 245, 246 व 247 में से होकर है जो हमेशा से रहा है। वर्णित रास्ता मौके पर कभी भी मौजूद नही होने के कारण उपरोक्त प्रकार के रास्ते बाबत किसी को कोई सुखाधिकार पैदा नही होता है। धारा 251 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट सुखाचार के अधिकार बाबत है। जहा कि इस प्रकरण का कोई अधिकार शिकायतकर्ताओं को सृजित ही नही हो रहा है।

वादी श्री प्रहलाद सिंह द्वारा प्राप्त जबाब में शपथ– पत्र के विभिन्न बिन्दुओं को दोहराते हुये जबाब पेश किया कि वर्णित रास्ता किसी राजस्व रिकॉर्ड में कोई कटान का रास्ता नही रहा है। नक्शा पुस्तक में डोटेड लाईन दर्ज होने से कटान का रास्ता नही हो जाता है। ना ही उपरोक्त प्रकार से डोटेड लाईन दर्ज होने से किसी को रास्ते के कोई अधिकार पैदा नही होते है। उपरोक्त ख.न. की पुरानी नक्शा सीट सैटलमेंट से पूर्व की देखने से पता चलता है कि उपरोक्त प्रकार की कोई टोटेड लाईन भी रिकॉर्ड में मौजूद नही है। सैटलमेन्ट कर्मचारियों द्वारा मौके की जांच किए बिना मर्जी से डोटेड लाईने दर्ज कर दी जिससे ना तो किसी को कोई अधिकार प्राप्त होते है ना ही किसी के अधिकार समाप्त होते है। ग्राम भरवाड़ी के ख.न. 124, 126, 127, 244, 243 में से डोटेड लाईन का कोई रास्ता ना तो मोके पर मौजूद है ना ही राजस्व रिकॉर्ड में कटान का रास्ता है ना ही उक्त डोटेड लाईने पुरानी नक्शा सीट में दर्ज है। पुरानी नक्शा सीट के अनुसार ही नई नक्शा सीट में डोटेड लाईने हटा दिए जाने हेतु नक्शा दुरूस्ती का दावा माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां किया गया है जो विचाराधीन है जिसके मुकदमा नम्बर 93/2019 है। वर्णित डोटेड लाईन आगे ख.न. 169, 256, 255, 241, 240 में से भी दर्शाई गई है जबकि मौके पर उक्त वर्णित भूमि में से भी कोई रास्ता मौजूद नही रहा तथा ना ही वर्तमान में है। परन्तु उपरोक्त वर्णित ख.न. नम्बरान के खातेदारान को भी नाजायज परेशान किया जाने लगा था तथा जबरदस्ती रास्ता व ग्रेवल डालने पर आमादा हो गए थे जिस पर उक्त काश्तकारो ने मा. वरिष्ठ सिविल न्यायालय में दावा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पेश किया था जिनके मु.न. 48/18 व 43/18 है । उपरोक्त प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा मु.न. 43/2018 में मा. सिविल न्यायायल का स्टे ऑर्डर जारी किया गया है।

(5)

तहसीलदार
नवलगढ़

Scanned with CamScanner

अतः पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, कार्यालय टिप्पणी व पक्षकारों द्वारा प्राप्त जवाब शपथ पत्र का अवलोकन किया गया, प्रकरण में रास्ते की मांग करने वाले पक्षकार पिछे बार-बार नियत दिनांक को अनुपस्थित रहे है जिससे न्यायालय की कार्यवाही प्रभावित हो रही है। पूर्व में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.07.2019 में अपीलान्टस संख्या 01 व रेस्पोडेन्टस संख्या 04 व एक अन्य द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर शपथ पत्र इस आश्य से पेश किया है कि वर्णित रास्ता मौक पर कभी स्थित नही रहा है। वर्णित रास्तो टोटेड लाईन को नक्शा से शुद्धिकरण हेतु नक्शा दुरुस्ती का दावा मा. उपखण्ड अधिकारी के यहा विचाराधीन है जिसके मुकदमा नम्बर 93/2019 हैं पक्षकार प्रहलाद द्वारा प्राप्त जबाब में यह भी स्पष्ट किया है कि विवादित रास्ता के अलावा ख.न. 244 में आने - जाने हेतु मौके पर दो अन्य रास्ते भी मौजूद है। इस एक ही विवाद के संबंध में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट द्वारा एक ही आश्य का शपथ- पत्र प्रस्तुत करना व रास्ते की मांग करने वाला पक्ष न्यायालय में लम्बे समय से नियत दिनांक को अनुपस्थित रहना व पलिडर द्वारा भी कोई वर्णित रास्ते हेतु साक्ष्य - सबूत पेश नही करना एवं विचाराधीन प्रकरण में कोई भी आज दिनांक को निर्णय पारित करने से एक ही प्रकार के प्रकरण में विरोधाभाषी आदेश जारी करने का अंदेशा रहता है। अतः अपर न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण पारीत निर्णय के अधिन रखते हुये विचाराधिन प्रकरण में कार्यवाही इसी स्तर पर बन्द कर पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

महेन्द्र सिंह मुण्ड आर.टी.एस.
तहसीलदार नवलगढ
तहसीलदार
नवलगढ

Scanned with CamScanner